

महाराष्ट्र वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र लोरमी (छ.ग.)

Email ID :- rolormi62@gmail.com

क्रमांक / 450
प्रति,

लोरमी, दिनांक 03/03/2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
लोरमी, जिला- मुंगेली (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण कर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र.1979 / रीडर / 2024 / लोरमी / दिनांक / 31.12.2024।

—00—

उपरोक्त संदर्भित के माध्यम से आवेदक श्री गणेश कश्यप पिता स्व.श्री लखन कश्यप निवासी ग्राम सुकली तहसील लालपुर थाना जिला मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा ग्राम सुकली प.ह.न.16 तहसील लालपुर में स्थित अपने स्वयं की खाते के निजी भूमि ख.न. 436 रकबा 1.2910 हेक्टे. में लगभग 525 सागौन वृक्ष के विदोहन / कटाई करने हेतु आवेदन पत्र, बी-1 खसरा नक्शा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 11 फरवरी 2022 के प्ररूप -घ(नियम 7 (1) देखिये) निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये कंडिकानुसार संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त स्थल परिक्षेत्र सहायक लोरमी(पूर्व) के द्वारा संयुक्त प्ररूप -घ(नियम 7 (1) देखिये) निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

पृ.क्र. / 451

प्रतिलिपि:-

1. वनमंडलाधिकारी मुंगेली, वनमंडल मुंगेली की ओर सूचनार्थ।
2. उपवनमंडलाधिकारी लोरमी उपवनमंडल लोरमी की ओर सूचनार्थ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लोरमी, वनपरिक्षेत्र लोरमी(सा.)

लोरमी, दिनांक 03/03/2025

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लोरमी, वनपरिक्षेत्र लोरमी(सा.)

प्ररूप-घ
[नियम 7 (1) देखिये]
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुविभाग, खेती जिला बुंदेलखंड छ.ग.

विषय:-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ:-

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 1879/सि/2024 दिनांक 31/12/2024

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 28/2/25 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार भोरेन्द्र कश्यप (पुत्र)
(ख) सरपंच/पंच गोहन सिंह
(ग) पटवारी/कोटवार प. ह. नं. 16
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी गरेन्द्र सिंह/चन्द्र सिंह

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खाते में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या सिंदूर
(ख) खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या 510
(ग) पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा दिनांक सिंदूर को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या 80% वृक्षों के डीफूट का प्रयोग
(ख) खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या प्रापिक वृक्षों के डीफूट का प्रयोग
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या अन्य वृक्षों के डीफूट का प्रयोग
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका,

यदि कोई हो

- (ड.) अन्य विवरण वृक्ष परिपक्व नहीं हैं/वृक्षों के डीफूट का प्रयोग

राजस्व अधिकारी का नाम,

पदनाम

हस्ताक्षर

पटवारी

प. ह. नं. 16

तह. लालपुर थाना

वन अधिकारी का नाम,

पदनाम

हस्ताक्षर

अतिरिक्त सहायक

सहायक पट